

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिले में कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिले के ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक शस्त्र सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो। जिले की ग्रामीण सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त

किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लैक्स, बोर्ड, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्पर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। रात्रि 10.00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टोरेट परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के समूह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित कि जाएगा।

२०/१२/२१

विदेश से रतलाम आने वालों की संख्या 42 पहुंची, आठ की रिपोर्ट निगेटिव

सतर्कता : कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिले में अलर्ट जारी, 23 लोगों का आरटीपीसीआर सैंपल लिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिले में अलर्ट जारी होने के बाद जिले में विदेश से आने वाले पर कड़ी निगरानी हो रही है। अभी तक एक दिसंबर से छह दिसंबर तक विदेश यात्रा कर जिले में आने वालों की संख्या 42 पहुंच गई है। इनमें से 23 लोगों का आरटीपीसीआर सैंपल लिया जा चुका है और आठ की रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है।

स्वास्थ्य विभाग को विदेश से रतलाम आने वालों की सूची प्राप्त हो रही है। सूची में शामिल लोगों को तलाश कर आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, उन्हें भी होम आइसोलेंट भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला 14 दिन तक इन पर पैनी नजर रखेगा। कोरोना किल्ला नोडल अधिकारी डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि हाई रिस्क देशों से जिले में अब तक 42 लोगों के आने की सूचना मिल गई है। पूरी जानकारी लेने के बाद सात दिन के लिए होम आइसोलेंट किया जा रहा है।

विदेश यात्रा करने वालों के घर को बनाएंगे कंटेनमेंट ज़ोन

अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सभापित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार को डॉन डा. जितेंद्र गुप्ता ने सामुदायिक चिकित्सा विभाग के साथ बैठक की, जिसमें नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के साथ कोरोना की रोकथाम, उपचार पर चर्चा की गई। सामुदायिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डा. परसके लिलार के नेतृत्व में विभाग के सह-प्राध्यापक डा. उमेश सिन्हा तथा डा. ध्रुवेंद्र पांडे द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। इस अपसर पर विभाग की फेकल्टी भी उपस्थित रही। डॉन डा. गुप्ता ने कहा कि पूर्व अनुभव के आधार पर नए वैरिएंट से निपटने के इंतजार किए जाएंगे और मरीजों को बेहतर इलाज, प्रबंधन मिल सकेगा। योजना में टीएएसकेएस पर जोर दिया गया। टीएएसकेएस योजना में टी-ट्रीमेंट, इसके तहत दो वेब से जो सीखा है, उसपर ध्यान देना तथा दवाइयों व अन्य समग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता। ए-ट्रेनिंग, जिसमें फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं

उनके घर को ही छोटे कंटेनमेंट बनाए जाएं। सात दिन बाद पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच कराई जाए। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम को सोमवार को समयावधि पर चर्चा की बैठक में दिए। कलेक्टर ने निर्देश

दिए कि सभी रैपिड रिसांस टीमों को सक्रिय किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्र की आरआरटी की बैठक लेकर दिशा निर्देशित करें। वैक्सिनेशन समीक्षा में कलेक्टर ने वाजना क्षेत्र में कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त कर एसडीएम कामिनी

इस बार टीएएसकेएस प्लान पर रहेगा फोकस



मैडिकल कलेज में बैठक लैंग्वीन डा. जितेंद्र गुप्ता और उपस्थित डॉक्टर वी। नईदुनिया

को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तथा अद्ययन, जो कि पूरे समुदाय में हो। एस- सर्जिलेंस, जिसके तहत कंटेनमेंट ट्रेनिंग तथा नियमों का सख्ती से पालन। के - किसी भी प्रकार की भ्रम, भ्रंति और अनावश्यक तनाव से दूरी और एस- वैक्सीन के अलावा तमाम व्यक्तिगत सुरक्षा प्रबंधों का पालन करना एवं करवाया जाना है।



ठाकुर को सख्ती से निर्देशित किया कि वाजना क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति लाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 लाख 13 हजार व्यक्तियों का वैक्सिनेशन अभी बंदू चल रहा है। हम प्रत्येक सप्ताह 1 लाख के आसपास टीकाकरण कर रहे

जिला अस्पताल की ओपीडी में बढ़े सर्दी-खांसी में मरीज



जिला अस्पताल की ओपीडी में पर्वी प्राप्त करते हुए मरीज। नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में एक सप्ताह से मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव देखने में आया है। माघ के चलते तेजी से तापमान गिरा, उसके बाद मौसम साफ होते ही वापस तापमान तेजी से ऊपर आया है। आसमान पर बादल अभी भी देखे जा रहे हैं, जिसके कारण मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। जिला अस्पताल की ओपीडी में एक बार फिर 1300 से अधिक मरीज रोज पहुंचने लगे हैं, इनमें सर्वाधिक मौसमी सर्दी-खांसी के हैं। एक सप्ताह पहले यह संख्या एक हजार के नीचे चल रही थी। सोमवार को जिला अस्पताल में 1380 मरीज पहुंचे। इसमें 500 से अधिक सर्दी-खांसी के मरीज शामिल हैं।

चिकित्सकों की मने तो मौसम में बदलाव पर ध्यान नहीं रखने से सर्दी खांसी के मरीज बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि तीसरी लहर की आशंका से भी लोग थोड़ी भी सर्दी-खांसी होने पर अस्पताल भाग रहे हैं। दुखार से पीड़ित डेगू के सामान्य हैं। इस सप्ताह भी 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। एसडीएम शहर अभियंता गहलोत ने बताया कि रतलाम शहर में सोमवार को 30 टीमें लगाई गई हैं, इनमें 18 मोबाइल वाहन दले तथा 12 वैक्सिनेशन सेंटर हैं।

तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव के चलते मानव शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिन व रात, धर व बाहर के तापमान में संतुलन नहीं बनाए रखने पर सर्दी खांसी के मरीज ज़्यादा आते हैं। -डा. आनंद वंदेसकर, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल रतलाम

टीकाकरण में लापरवाही पर उपयंत्री निलंबित

टीकाकरण में लापरवाही पर लॉजिस्टि उपयंत्री केरन कुमार को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। उपखंड जाबरो के उपयंत्री कुमावत को अलर्ट विकासखंड

में 24 नवंबर कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के दौरान नोडल अधिकारी बनाया गया था। कुमावत सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे।

नईदुनिया 7/12/21



जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिले के ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो। जिले की ग्रामीण सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, बोर्ड, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्मर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। रात्रि 10.00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टोरेट परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के समूह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

21/11/2021

कालिका माता बगीचे में प्रतिदिन आ रही भीड़

नए संसाधन से सभी के आकर्षण का केंद्र बना उद्यान



पत्रिका
सोशल
प्राइड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम, शहर के कालिका माता बगीचे में नए संसाधन लगने के बाद बच्चों से लेकर वृद्ध को भीड़ लग रही है। यहां प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम को परिवार आ रहे हैं। मनोरंजन के साथ - साथ शरीर को बेहतर बनाने के लिए लगे संसाधन आमजन को पसंद आ रहे हैं।

नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान 2022 के साथ - साथ आमजन की सेहत की भी चिंता की है। इसके लिए करीब 27 लाख रुपए की लागत से शहर के अलग-अलग



उद्यान में कई प्रकार के संसाधन लगाए हैं। कोरोना के दौरान जो रोक - टोक लगी हुई थी, उससे अब शहर के अन्य बगीचों के साथ - साथ कालिका माता बगीचे में भी आमजन की भीड़ बढ़ गई है।

इसलिए आती भीड़

असल में शहर के कालिका माता बगीचे में भीड़ आने की एक बड़ वजह भी है। यहां पर नगर निगम के कई तरह के आकर्षक खेल,



फिसलपट्टी तो लगाई ही है इसके साथ - साथ शरीर के व्यायाम के लिए भी संसाधन लगाए हैं। इन दिनों सबसे अधिक घुटने में दर्द की समस्या की शिकायत सामने आती है। इसके राहत के लिए पेडल

साइकल, कमर दर्द को राहत देने के लिए घुमावदार चकरी तो है ही इसके साथ - साथ पुराअप के संसाधन भी लगाए गए हैं। यही एक बड़ा कारण है कि यहां पर सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के आमजन की भीड़

रहती है। यहां परिवार तो आ ही रहे हैं इनके अलावा युवा से लेकर युवतियों को भीड़ रहती है। इसके अलावा कई बुढ़ अपने पोते - पोती के साथ आते हैं।

कालिका माता बगीचे की सबसे बेहतर बात यह है कि यहां पर बच्चों के साथ - साथ बड़ों की चिंता करते हुए व्यायाम के संसाधन लगाए हैं। यह नवावार ही सबसे अधिक पसंद आ रहा है।

- पूर्णिमा परमार, गृहणी

कोरोना काल के दौरान बच्चे घर में कैद रहे। अब जब सब खुल गया है तो यहां बच्चों के साथ आता हूं। बच्चे खुश हो जाते हैं।

- रनडी शर्मा, बुढ़ व्यक्ति

पत्रिका 7/12/21

यह डर अच्छा है...
कॉलोनाइजरो ने
प्रशासनिक सख्ती
के आगे टेके घुटने

निर्माण अनुमति निरस्त करने के बाद नगर निगम ने पुलिया तोड़ने के लिए दिया था 24 घंटे का समय, मंगलवार को होने वाली थी कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रत्नाम

बिना अनुमति गोशाला रोड पर अवैध कॉलोनी बना रहे कॉलोनाइजरो ने सरकारी नाले पर बनाई पुलिया को सोमवार रात खुद ही तोड़ डाला। निर्माण अनुमति नगर निगम शनिवार को ही निरस्त कर चुका है। अप्रुसरो ने नई परमिशन 60 साल पहले बनाई पुरानी पुलिया के आधार पर दी थी। अनुमति निरस्त करने के साथ जमीन मालिक को नोटिस जारी हुआ था। इसमें पुलिया तोड़ने 24 घंटे का समय दिया था।

मंगलवार सुबह प्रशासन पुलिया तोड़ने की कार्रवाई

गोशाला रोड पर अवैध कॉलोनी को रास्ता देने के लिए बनाई पुलिया, कॉलोनाइजरो ने अब रातोंरात खुद तोड़ी

भास्कर इन्सैक्ट

कॉलोनी की कोई टेकवार उचित के पत्र करने वाले को सब रहा जका

गोशाला रोड पर डेवलप की जा रही अवैध कॉलोनी की जांच शुरू, दूढ़ रहे हैं एग्रोमेंट

30 नवंबर को प्रकाशित ह्वार।

करने वाला था। इसकी भन्क लगते ही कॉलोनाइजरो ने जेसीबी से खुद रातों रात 12 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी सोमेंट कांफ्रेट से बनाई पुलिया को तोड़ डाला। यह सब अवैध कॉलोनीयों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई का असर है। अब तक रुपयों के दम पर सबकुछ सेट करने का दबाव करने वाले कॉलोनाइजरो ने अब घुटने टेकना शुरू कर दिया है। सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास ने बताया पुलिया बनाने के लिए दी परमिशन निरस्त कर चुके हैं।

6 से 10 हजार रुपए वर्गफीट में बिक रहे थे प्लॉट, छरीदारों के लाखों रुपए अटके

भूमिफियाओं को इस करतूत से तगड़े मुनाफे के चक्कर में प्लॉट का सौदा करने वाले खरीदारों के लाखों रुपए अटक गए हैं। बताया जा रहा है कि टीएंडसीपी को बगैर परमिशन के लगभग 60 हजार वर्गफीट में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके लिए कॉलोनाइजरो ने कच्चा नक्शा भी बना लिया था, जिसमें तीन आकार के 28 प्लॉट काटे गए हैं। घनी आबादी वाले इलाके में होने से इनमें से 10 से 12 प्लॉट के 6 से 10 हजार रुपए वर्गफीट में सौदे भी हो चुके हैं। अनुमति नहीं होने से फिलहाल प्लॉटों को एग्रोमेंट के आधार पर ही खरीदा और बेचा जा रहा है।



गोशाला रोड पर अवैध कॉलोनी विकसित करने सरकारी नाले पर बनाई पुलिया को तोड़ती जेसीबी।

परमिशन से भूमिफिया को बेची जमीन

दरअसल जब निगम ने पुलिया निर्माण को परमिशन दी थी, तब जिस जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही है, उसके मालिक सत्यनारायण पालीवाल थे। पालीवाल ने 1961-62 में निजी उपयोग के लिए दी पुलिया बनाने की पुरानी परमिशन के आधार पर निगम से नई पुलिया परमिशन ले ली। बताया जा रहा है अनुमति के बाद यह जमीन अतुल वाफना (हाथी) और अमिल पुरोहित नामक ज्वेलर्स व अन्य भागीदारों को बेच दी। भूमिफिया ने प्लॉटों को ऊंची कीमत पर बेचने की विकल्पम पिड़ते हुए योजनाबद्ध तरीके से गोशाला रोड से प्रवेश मार्ग बनाया। इसके लिए पहले रोड साइड का मकान खरीदा, उसे तोड़कर पुलिया बना दी।

द. भास्कर 7/12/21

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दैनिक अवन्तिका >> रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-घन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए।

जारी आदेश के अनुसार जिले के ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कोई भी

व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो। जिले की ग्रामीण सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व

वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, घरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, घरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, बोर्ड, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में

कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला मैदल जनसम्पर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की

परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा कलेक्टर परिसर में चा-व्यक्तियों से अधिक के समूह का प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

3-11-2021

अवन्तिका 7/10/21

रतलाम में चुनाव की तैयारियां

रतलाम, नग्न। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही रतलाम प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। विश्राम भवनों को आरक्षित रखने के अलावा आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने के लिए एमसीसी टीमों का गठन किया है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आचार संहिता लागू होने पर विश्राम भवनों को आरक्षित रखने संबंधी आदेश जारी किया है। चुनाव की घोषणा दिनांक से परिणाम घोषित होने की दिनांक तक की अवधि में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग के अलावा विद्युत मंडल, सज्जन मिल तथा इका लेबोरेटरीज के विश्राम गृह और विश्राम भवनों को आरक्षित रखने को कहा है। ये भवन चुनाव काम के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इनका आवंटन की प्राथमिकता में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा चुनाव काम से संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। इसी क्रम में चुनाव से संबंधित कामों के संपादन के लिए नगर पालिक निगम रतलाम के आंबेडकर मांगलिक भवन और स्टेडियम को भी अधिग्रहित किया है।

अधिकारी अधिकृत- विभिन्न कामों की अनुमति जारी करने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को भी अधिकृत किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी एसडीएम अपने अनुविभाग मुख्यालय के चुनाव क्षेत्र

के लिए तथा विकासखंड पिपलौदा तथा बाजना चुनाव क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को अधिकृत किया है। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर परीक्षण उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक अनुमति जारी करेंगे। इसके लिए सिंगल बिंडो सिस्टम स्थापित किया जाकर अनुमति जारी की जाएगी। विभिन्न अनुमतियों में वाहन उपयोग चुनाव प्रचार के लिए जुलूस या रैली निकालने, सभा आयोजित करने तथा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए लोकल केबल पर चुनाव संबंधी सूचना के प्रसारण की अनुमति तथा चुनाव काम के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में आने वाले वाहनों में पीओएस, पेट्रोल पंप से भरवाने के लिए क्रेडिट जारी करने की अनुमति शामिल है।

एमसीसी टीमों का गठन- आदर्श आचरण संहिता में निहित निर्देशों के पालन कराने तथा चुनाव को कराने के लिए एमसीसी टीम का गठन किया है। सभी विकासखंडों में एमसीसी दल काम करेंगे। दल में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा धाना प्रभारी को शामिल किया गया है। चुनाव को देखते हुए कलेक्टर ने शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रकाशकीर ७/१२/२१

अनुमति जारी करने के लिए अधिकारी अधिकृत

रतलाम। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के तहत विभिन्न कार्यों की अनुमति जारी करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी एसडीएम अपने अनुविभाग मुख्यालय के निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा विकासखंड पिपलोदा तथा बाजना निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को अधिकृत किया गया है। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर परीक्षण उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक अनुमति जारी करेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाकर अनुमति जारी की जाएगी। विभिन्न अनुमतियों में वाहन उपयोग चुनाव प्रचार के लिए जुलूस या रैली निकालने, सभा आयोजित करने तथा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, निर्वाचन तड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए लोकल केबल पर निर्वाचन संबंधी सूचना के प्रसारण की अनुमति तथा निर्वाचन कार्य हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में आने वाले वाहनों में पीओएस, स्थानीय पेट्रोल पंप से भरवाने हेतु क्रेडिट जारी करने की अनुमति शामिल है।

सिधम-6

अवकाश प्रतिबंधित

रतलाम। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश जारी किया जाकर शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उसी स्थिति में अनुशसित किया जाएगा जब अत्यावश्यक हो।

विश्राम भवनों को आरक्षित रखने के निर्देश

सिधम रिपोर्टर □ रतलाम

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विश्राम भवनों को आरक्षित रखने संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक की अवधि में रतलाम जिले के विभिन्न विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, सज्जन मिल था इप्का लेबोरेटरीज के विश्राम गृह, विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इनके आवंटन की प्राथमिकता में क्रमशः निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारी रहेंगे। इसी क्रम में निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संपादन के लिए नगर पालिक निगम रतलाम के आर्बेडकर मांगलिक भवन, स्टैडियम को भी अधिग्रहित किया गया है।

सिधम-6

सिधम - 6/12/21

घर पर बनाए जाएंगे छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र, सात दिन बाद पूरे परिवार की होगी जांच

कोरोना के नए वायरस को लेकर अलर्ट: अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर 60 से अधिक लोग लौटे रतलाम, सभी रिपोर्ट नेगेटिव



पत्रिका
महामारी से
महामुकाबला

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर रतलाम आने वाले व्यक्तियों को अब फिर से क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के नए वायरस के खतरे को भापते हुए रतलाम में प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। ऐसे में विदेश से आने वाले लोगों के घर पर छोटे कंटेनमेंट बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं उनके लौटने के सात दिन बाद पूरे परिवार के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई जाए। यह निर्देश सोमवार को कलेक्टर कुमार



पुरुषोत्तम ने सभी एसडीएम को दिए। रतलाम में बीते कुछ दिनों के भीतर 60 से अधिक लोग विदेश

यात्रा करके रतलाम लौटे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग दुबई से आए हैं, फिर भी ऐहतियात

के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की द्वारा संबंधित व्यक्तियों के लिए गए और उनकी जांच की जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव से स्वास्थ्य विभाग के सा प्रशासन ने भी राहत की सांस ली वहीं अब जो नए लोग विदेश रतलाम आएंगे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। कलेक्टर ने रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को सक्रिय के निर्देश देते हुए सभी एसडीएम उनके क्षेत्र की आरआरटी की लेकर इस संबंध में दिशा निर्देश करने की बात भी कही है।

पत्रिका 7/12/21

सुधरेगा ट्रैफिक • जवाहरनगर टू-लेन से कस्तूरबानगर वाले सीधे पहुंचेंगे दो बत्ती पोस्ट ऑफिस रोड और शास्त्रीनगर क्षेत्र में फोरलेन, जवाहर नगर में टू-लेन की तैयारी

भास्कर संवाददाता | रत्नचम

2023 खत्म होने से पहले शहर की पांच प्रमुख सड़कें महानगरों की तरह चौड़ी हो जाएगी। इन पर 52 करोड़ खर्च होंगे। नगर निगम 16.3 करोड़ से तीन सड़कें बनाएगा। इनमें से दो सड़क फोरलेन, जबकि एक टू-लेन बदलेगी। सैलाना बस स्टैंड से लोकेंद्र टॉकीज चौराहा तक फोरलेन बनने से दो बत्ती होकर सैलाना बस स्टैंड तक का सर्कल पूरा हो जाएगा। शास्त्री नगर रोड को फोरलेन बनने से पावर हाउस रोड और न्यू रोड का यातायात डायवर्ट होगा। जवाहर नगर अंबे माता चौक से जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तक की टू-लेन रोड बनने से पट्टी पार के इलाकों के शहर के मुख्य दो-बत्ती चौराहा की येहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अभी यह रोड लक्ष्मणपुरा समेत कुछ जगह से संकरा है, रहवासी सैलाना बस स्टैंड या रेलवे कॉलोनी से आवाजाही कर रहे हैं। जावरा फाटक अंडरब्रिज से सेजावता फंटा और संत रविदास चौक से करमदी तक की सड़क को फोरलेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इन पर 35 करोड़ खर्च होंगे। जानकारी सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास ने दी।

सुविधा : सैलाना बस स्टैंड से लोकेंद्र टॉकीज तक रोड बनने से पूरा होगा फोरलेन का सर्कल

फोरलेन : शास्त्रीनगर में



शास्त्री नगर मेनरोड

लंबाई	चौड़ाई	लागत
510 मीटर	14 मीटर	3.8 करोड़

कैसी बनेगी - फुटपाथ, सेंट्रल लाइटिंग
अभी क्या स्थिति - मिनी स्मार्ट प्रोजेक्ट में साइडिंग की खुदाई के बाद से काम बंद, पर्याप्त चौड़ाई इसलिए अतिक्रमण नहीं हटाना पड़ेगा।

फोरलेन : पोस्ट ऑफिस रोड



सैलाना बस स्टैंड से लोकेंद्र टॉकीज चौराहा

लंबाई	चौड़ाई	लागत
385 मीटर	14 मीटर	3 करोड़

कैसी बनेगी - फुटपाथ, सेंट्रल लाइटिंग
अभी क्या स्थिति - सड़क के गायत्री टॉकीज वाली तरफ दुकान के आगे और एमसीएम वाली तरफ भी गुमटियां व अन्य का अस्थायी अतिक्रमण, इससे जाम होता रहता है।

टू-लेन : रेलवे इंस्टीट्यूट तक



जवाहर नगर से जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट

लंबाई	चौड़ाई	लागत
1700 मी.	9-10 मी.	9.5 करोड़

कैसी बनेगी - उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार
अभी क्या स्थिति - जवाहर नगर वाले हिस्से में पर्याप्त चौड़ाई, लक्ष्मणपुरा वाले इलाके में कच्चे-पक्के अस्थायी अतिक्रमण के कारण रोड संकरी है। इसे हटाना पड़ेगा।

अधूरा बाजना रोड भी जल्द बनने लगेगा

तीन साल से अधूरा पड़ा बाजना रोड भी जल्द पूरा हो जाएगा। बीच में अलग-अलग छूटे हुए लगभग 5.50 किमी रोड बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर कर दिए हैं। इस पर 16 करोड़ खर्च होंगे। सहायक यंत्री पीके राय के अनुसार शासन से टेंडर को मंजूरी मिलते ही ठेकेदार काम शुरू कर देगा। बता दें कि बीच में फोरिस्ट भूमि आने के कारण बाजना रोड का काम अधूरा पड़ा था। जमीन के बदले जमीन मिलने के बाद रास्ता साफ हो गया है।

क. भास्कर 7/12/21

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की जननी

रतलाम। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की जननी है। लोग अपना परिसर व आसपास साफ सफाई रखेंगे तो और लोग भी सफाई के प्रति जागरूक होंगे। शासन के निर्देश पर धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान का मतलब भी ये था कि लोग स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभाएं। हम सबको एकजुट होकर ऐसे प्रयास करना होंगे कि आने वाले वर्ष में हमारा रतलाम भी स्वच्छता के मामले में देश के अन्य शहरों से अखिल रहे।

यह बात नगर निगम उपायुक्त विकास सोलंकी ने कही। स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत सोमवार को शहर के चारों जों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का सम्मान किया गया। निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने संचालकों



सार्वजनिक शौचालयों के संचालक का सम्मान करते हुए निगमकर्मियों। • नईदुनिया

का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद उन्हें फूलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जों प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा,

मोनिष चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

नीमच। अंकुर कार्यक्रम अंतर्गत जिला पंचायत सीईओ नोडल अधिकारी अंकुर कार्यक्रम गुरुप्रसाद के मार्गदर्शन में वेरिफायर्स शिक्षण आयोजित किया गया।

नईदुनिया 7/12/21

पर दिखा... लोगों ने पहने मास्क, विदेश से लौटने वाले लोगों के घर बनेंगे छोटे कंटेनमेंट



बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, 17 लोगों पर किया जुर्माना

रतनगढ़ | कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ मुद्रािम तेज हो गई है। सोमवार को नगर निगम के अमले ने सैलाना बस स्टैंड, दो बत्ती, राम मंदिर, माणकचौक क्षेत्र में ऐसे 17 व्यक्तियों को पकड़ा। प्रत्येक से 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इधर स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 12 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन भी लगाया। इनमें अरविन बाजना बस स्टैंड पर 200 रुपए, अमित गोशाला रोड, बबलु, अजय लक्कड़पीठा रोड, रिकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड पर 100 रुपए, दीपक, राहुल, अशोक, कालूराम गोशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैंड, अमित सागोद रोड पर 50 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला। आयुक्त सोमनाथ शारिया ने बताया नगरिक गंदगी फैलाने वालों की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह (7471144930) और जॉन प्रभारी पर्वत हाई (7471144931) को दे सकते हैं।



दुल्हन बनी ममता को लगाई वैक्सीन

आरौट | राष्ट्रीय टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को पिपलिया सिंसीदिया में टीकाकरण अभियान चला। जहां डोर-टू-डोर जाकर टोके से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी दौरान दल दुल्हन बनी ममता पाटीदार के घर पहुंचा। जहां दुल्हन पाटीदार को दूसरा डोज लगाकर कोरोना का खत दूर किया। इस मौके पर आनंद चावला, फिरोज खान, रमेशचंद्र पाटीदार, कुसुम तेजाळा, सरोज व्यास, ओमप्रकाश तेजाळा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद थे।

24/12/21

ड. भास्कर 7/12/21

सख्ती का असर दिखा... लोगों ने पहने मास्क, विदेश से लौटने वाले



रत्नाम | मास्क को लेकर शहर में सोमवार को सख्ती दिखाई गई। इधर, लोगों पर असर दिखा, कई लोग मास्क पहने हुए नजर आए। महाराणा प्रताप चौराहे पर चालानों कार्रवाई की गई। इधर, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने कहा है। विदेश से आने वाले लोगों के घर छोटे कंटेनमेंट बनार जाएंगे। उनके लौटने के सात दिन बाद पूरे परिवार के संपल लेकर जांच कराई जाएगी। फोटो - भिद्र मेहता

बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, 17 लोगों पर किया जुर्माना

रत्नाम | कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। सोमवार को नगर निगम के अमले ने सैलाना बस स्टैंड, दो बत्ती, राम मंदिर, माणकचोक क्षेत्र में ऐसे 17 व्यक्तियों को पकड़ा। प्रत्येक से 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इधर स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 12 व्यक्तियों पर स्याट फाइन भी लगाया। इनमें अश्विन बाजना बस स्टैंड पर 200 रुपए, अमित गोशाला रोड, बबलु, अजय लक्कड़पीठा रोड, रिकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड पर 100 रुपए, दीपक, राहुल, अशोक, कालुराम गोशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैंड, अमित सागोद रोड पर 50 रुपए का स्याट फाइन वसूला। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया नागरिक गंदगी फैलाने वालों की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह (7471144930) और जौन प्रभारी पवंत झाड़े (7471144931) को दे सकते हैं।



आलोट | राष्ट्रीय टीकाकरण मंडल जाकर टीके से संबंधित संपर्क पाटीदार को दूसरा डोज लगाने जाला, सरोज व्यास, ओम

डॉ. आर.एस. 7/12/21

पांच दिन में विदेश से 22 लोग आए रतलाम

14 दिन निगरानी में रहेंगे



सिंधम रिपोर्टर □ रतलाम

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर जिले में अलर्ट जारी होने के बाद एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक विदेश यात्रा कर जिले में आने वाले 23 लोगों की सूची रविवार को स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का अमला 14 दिन तक इन पर पैनी नजर रखेगा। एयरपोर्ट में कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला स्तर पर दो बार सैपल जांच कराई जाएगी। रविवार रात तक 15 लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई थी और सभी

के आरटीपीसीआर जांच के लिए सैपल लिए गए।

कुवैत, सऊदी अरब, कनाडा, लंदन की यात्रा करके 22 लोग रतलाम शहर में आए हैं और एक व्यक्ति जावरा का है। एयरपोर्ट में इनके लिए गए सैपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। विदेश से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। कोरोना जिला नोडल अधिकारी डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि हवाई रिस्क देशों जिले में

अब तक 23 लोगों के आने की सूचना मिल गई है। पूरी जानकारी लेने के बाद सात दिन के लिए होम आइसोलेट किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके संपर्क में रहेगी। आठवें दिन फिर उनका आरटीपीसीआर सैपल लेकर जांच की जाएगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सात दिन फिर नजर रखी जाएगी और वे खुद आइसोलेट रहेंगे। वहीं पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए शिफ्ट कर सैपल जीनोमसिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।

सिंधम-6

सैंपलिंग बढ़ाने के साथ संसाधन अपडेट वि

डा. बोरीवाल ने बताया कि कोरोना के तीसरी लहर की आशंका ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सुविधाओं को अपडेट किया जा रहा है। ओमिक्रोन के संक्रमण मिलने से संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जाने पर प्रदेश शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग उपचार की सुविधाओं समीक्षा कर रहा है। इसको लेकर रविवार को भी सीएमएचओ अधिकारियों के साथ बैठक की। आइसीयू, आइसोलेशन वार्ड, ठां के लिए आवश्यक दवाओं, वेंटिलेटर आदि के पर्याप्त इंतजाम पर ध्यान दे रहे हैं। साथ सैंपलिंग के टारगेट को बढ़ाने और जरूरतों से का गठन करने की तैयारी है।

सिंधम 6/12/21

कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश, सात दिन बाद परिवार की भी जांच कराई जाएगी

विदेश से लौटने वाले होंगे क्वॉरंटाइन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वॉरंटाइन किया जाए। उनके घर छोटे कंटेनमेंट बनाए जाएं। उनके लौटने के सात दिवस पश्चात पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच कराई जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम को दिए। कलेक्टर सोमवार को समयावधि पत्रों की बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी रैपिड रिस्पांस टीमों को सक्रिय किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्र की आरआरटी की बैठक लेकर दिशा निर्देशित करें। वैक्सीनेशन की समीक्षा में कलेक्टर ने बाजना क्षेत्र में कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर को सखी से निर्देशित किया कि बाजना क्षेत्र में अपेक्षित



प्रगति लाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 लाख 13 हजार व्यक्तियों का वैक्सीनेशन अभी ड्यू चल रहा है। हम प्रत्येक सप्ताह 1 लाख के आसपास टीकाकरण कर रहे हैं। इस सप्ताह भी 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम शहर में सोमवार को 30 टीमें लगाई गई हैं, इनमें 18 मोबाइल वाहन दल तथा 12 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। २१५

आदिवासी हितग्राहियों के ऋण प्रकरण दो दिवस में स्वीकृत करें: बैठक में कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में आदिवासी हितग्राहियों को वाहन दिलवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दो दिवस में उनके ऋण प्रकरणों को स्वीकृति दिलवाए। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी को

तत्परता से कार्य करने के लिए निर्देश दिया। बताया गया कि शासन आदिवासी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है।

अधूरे बाजना रोड के लिए टेंडर

बैठक में कलेक्टर द्वारा रतलाम-बाजना के अधूरे रोड निर्माण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश लोक निर्माण विभाग दिए। विभाग के सहायक यंत्री श्री राय बताया कि बाजना रोड के बचे हुए लगभग 5.50 किलोमीटर हिस्से के निर्माण हेतु प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। लगभग करोड़ों रुपये के टेंडर को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। शासन मंजूरी मिलते ही ठेकेदार द्वारा कार्य अंजित कर दिया जाएगा। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम जिले के बाजना-रावटी रोड सुधार के भी पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक आर.एस. तोमर तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारी को उक्त सड़क का भ्रमण कर रिपोर्ट दे निर्देश दिए।

२१५ एकलप्रेस २१/१२/२१

74 टन कचरा जुलवानिया ट्रेविंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से प्रक-
प्रक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे
कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की
सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे
का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेविंग
ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। सोमवार
को 74 टन कचरा जुलवानिया ट्रेविंग
ग्राउंड पर पहुंचाया गया। इंपर से 138 10,
ट्रेक्टर-ट्राली से 18905, कॉम्पेक्टर
सूखा कचरा 19635, कॉम्पेक्टर गीला
कचरा 21650 कुल 74000 किलो
कचरा जुलवानिया ग्राउंड पहुंचाया गया।

5899 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन, राष्ट्रीय
विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन,
सामाजिक सुरक्षा वृद्ध पेंशन, विधवा
पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक
बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले
हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार
भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त
कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व
वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा
रहा है। इसके तहत सोमवार तक 5899
पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन
किया जा चुका है।

महेश्वरीया 7/12/21

निगम की कार्रवाई

गंदगी पर 12 तो मास्क नहीं लगाने वाले 17 पर किया जुर्माना शहर में जागरूकता के लिए चल रहा निगम का अभियान



पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrikasom

रतलाम: शहर में खुले में गंदगी करने वाले 12 लोग तो मास्क लगाए बगैर निकलने वाले 17 लोगों पर नगर निगम की स्पॉट फाइन दल ने जुर्माना किया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया खुले में गंदगी करने पर अश्विन बाजना बस स्टैंड पर 200, अमित गौशाला रोड, बबलू,

अजय लक्कड़पीठा रोड, रिकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड पर 100-100, दीपक, राहुल, अपोक, कालुराम गोशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैंड, अमित सागोद रोड पर 50-50 रुपये का स्पॉट फाइन किया गया। इसके अलावा बिना मास्क वाले 17 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाइन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने को कहा गया।

पत्रिका 7/12/21

मास्क नहीं लगाने वाले 17 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर अश्विन बाजना बस स्टैंड से 200, अमित गौशाला रोड, बबलू, अजय लक्कड़पीठा रोड, रिकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड से 100-100, दीपक, राहुल, अपोक, कालुराम गोशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैंड, अमित सागोद रोड पर 50-50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पॉट फाइन दल द्वारा सभी को गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए धूमने वाले 17 व्यक्तियों से 100-100 रुपये का स्पॉट फाइन वसूलकर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई।

पत्रिका 7/12/21

कलेक्टर को शिकायत के आधार पर कार्रवाई

आज गौशाला रोड की अवैध कॉलोनी में कार्रवाई करेगा दल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में अवैध कॉलोनियों व अतिक्रमण के खिलाफ खुले मोर्चे के अंतर्गत नगर निगम मंगलवार को गौशाला रोड पर बनी एक अवैध कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी को अंतिम रूप सोमवार को देता रहा। निगम का लोकनिर्माण, राजस्व विभाग का अमला सहित, टीएनसीपी, प्रशासन का अमला मंगलवार सुबह करीब 9 बजे गौशाला रोड पहुंचेगा।

गौशाला रोड पर टीएनसीपी याने की टाउन एंड कंटी प्लानिंग से बगैर मंजूरी लिए कॉलोनी का विकास किया जा रहा है। यहां पर सरकारी पक्के नाले पर ही निर्माण कार्य कर दिया गया। रहवासी क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनी में 60 हजार वर्गफीट भूमि पर करीब 28 प्लॉट काटे गए हैं। इनकी कीमत 6 से 10 हजार रुपए वर्गफीट ली गई।

एफआईआर भी होगी

जिस तरह पूर्व में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं, उसी अनुसार गौशाला रोड पर बन रही

अवैध कॉलोनी के मामले में भी होगा। निगम के आला अधिकारियों के अनुसार पहले अवैध निर्माण तोड़कर प्रतिघंटा 15 हजार रुपए तोड़फोड़ का किराया लिया जाएगा उसके बाद पुलिस प्रकरण दर्ज करवाने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए भी तैयारी हो गई है। सोमवार को कलेक्टर द्वारा ली जाने वाली टीएल बैठक के बाद चर्चा हुई है।

हमने गौशाला रोड पर कॉलोनी की मंजूरी नहीं दी है। अगर कुछ निर्माण हो रहा है तो वो पूरी तरह से अवैध है।

- जीएल वर्मा, उपसंचालक
टीएनसीपी

सुबह तक इंतजार करें

नगर निगम शहर में हर अवैध कॉलोनी पर नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। बात गौशाला रोड की हो या अन्य किसी स्थान की, बस मंगलवार सुबह तक इंतजार करें।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर
निगम

पत्रिका 7/12/21

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

पंचायत चुनाव के दौरान धारा 144 का शिकंजा

कलेक्टर में भी 4 से अधिक के प्रवेश पर रोक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने एवं लोक प्रशासित कायम रखने के लिए एक बार फिर से प्रशासन ने धारा 144 का सहारा लिया है। इसके तहत कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ऐसे किए जाने के पीछे कारण किसी भी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना बताया गया।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्मस एवं घातक अस्त-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोंट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो।

जिले की ग्रामीण सीमा में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

बिना अनुमति नहीं होगा चुनाव प्रचार

जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, बोर्ड, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर या बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई आमसभा, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, सीएसपी, एसपी से और एसडीएम की अनुमति के बिना निकाले जा सकेगा।

इन पर भी प्रतिबंध

जारी आदेशों के तहत बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्पर्क जिसमें वाहन प्रदूषित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर प्रतिबंध रहेगा।

यहां भी पाबंदी

कलेक्टर के परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के सभूह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश के तहत कानून एवं व्यवस्था के लिए लगे अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इनके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कायमी की जाएगी।

पत्रिका 7/12/21

टेंडर मंजूर होते ही रतलाम-बाजना रोड का कार्य शुरू होगा- कलेक्टर

रतलाम ● स्वदेश समाचार
रतलाम-बाजना के अधूरे रोड निर्माण को पूरा करने के लिए कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की बैठक में संबंधित विभाग को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लगभग 5.50 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर 16 करोड़ रुपये के टेंडर की मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले के बाजना-रावटी रोड सुधार के लिए भी पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक आर.एस. तोमर तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारी को उक्त सड़क का प्रमण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। विदेश यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वारिंटाइन किया जाए। उनके घर छोटे कंटेनमेंट



बनाए जाएं। उनके लौटने के सात दिवस परचात पूरे परिवार के संपल लेकर जांच कराई जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम को दिए।

आदिवासी हितग्राहियों के ऋण प्रकरण दो दिवस में खीकृत करें

बैठक में कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि

मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में आदिवासी हितग्राहियों को वाहन दिलवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दो दिवस में उनके ऋण प्रकरणों को स्वीकृति दिलवाए। जिला आपूर्त अधिकारी एस.एच. चौधरी को तत्परता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बताया गया कि शासन द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों में मार्जिन भनी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि विभाग का कर्मचारी करेगा प्राइवेट दुकानों पर उर्वरक वितरण की निगरानी

बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्राइवेट दुकानों पर उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए निर्देशित किया। बताया गया कि शासन द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों में मार्जिन भनी उपलब्ध कराई जा रही है।

बताया गया कि जिले में दो हजार मैट्रिक टन यूरिया वर्तमान में उपलब्ध है, एक-दो दिन में और भी रोक आ रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो। किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिले में प्राइवेट दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरक को निगरानी के लिए विभाग अपने कर्मचारियों को ड्यूटी दुकानों पर लगाए।

ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए

बैठक में कलेक्टर द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सेमलिया में ठेकेदार द्वारा कार्य में ढिलाई बरतने की जानकारी दी जाने पर कलेक्टर ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने, उसको ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। धवाईपाड़ा नल-जल योजना के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री पी.के. गौरीदे द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में विद्युत कार्य चल रहा है, कलेक्टर ने कार्य निरीक्षण के निर्देश दिए।

धामनोद, पिपलोदा, सैलाना के सीएमओ को बुलवाया

बैठक में प्रधानमंत्री स्वच्छिण योजना की समीक्षा के दौरान शहरी विकास परिचयना अधिकारी अरुण पाठक द्वारा जानकारी दी गई कि आलोट, पिपलोदा तथा सैलाना में प्रगति कमजोर है। कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारियों को मंगलवार को रतलाम बुलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कस टिच अब स्वच्छता में जिलों की भी रैकिंग की जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि सभी नगर पालिका अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया जाए। इसके साथ ही जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सोठिया को जिला स्तरीय सम्बन्ध समिति की बैठक शीघ्र आहूत करने के लिए निर्देशित किया।

निर्माण विभागों की समीक्षा आगामी दिनों में

कलेक्टर ने कस टिच जिले में विभिन्न निर्माण विभाग को द्वारा संचालित एवं संचालित किए जा रहे-कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समीक्षा बैठक आगामी दिनों आहूत की जाएगी। कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि उम्केंद्वारा पुल पर गड्ड भराई एवं मरम्मत का कार्य आगामी दो दिनों में कर दिया जाएगा। बताया गया कि एनएचएआई द्वारा लड़वे पर मरम्मत, गड्डों की भराई के लिए कार्य किया जाना है लेकिन अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा पृथक-पृथक पैकेजिस में निर्मित की गई सड़कों के कारण ठेकेदारों को धिक्कित करने में कठिनाई आ रही है।

रैपिड रिस्पांस टीमों को सक्रिय किया जाए

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी रैपिड रिस्पांस टीमों को सक्रिय किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्र की आरआरटी की बैठक लेकर दिशा निर्देशित करें। वैकसीनेशन की समीक्षा में कलेक्टर ने बाजना क्षेत्र में कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम श्रीमती कामिनी ठक्कर को सख्ती से निर्देशित किया कि बाजना क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति चाई जाए। कलेक्टर ने कस टिच जिले में 1 लाख 13 हजार व्यक्तियों का वैकसीनेशन अभी शुरू चल रहा है। एम प्रत्येक सप्ताह 1 लाख के आसपास टीकाकरण कर रहे हैं। इस सप्ताह भी 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। एसडीएम अभिषेक गस्तीत ने बताया कि शहर में सोमवार को 30 टीमें लगाई गई हैं, इनमें 18 मोबाइल वाहन दल तथा 12 वैकसीनेशन सेंटर हैं।

स्वदेश 7/12/21

निर्माण विभागों की समीक्षा आगामी दिनों

रतलाम। कलेक्टर ने कहा कि जिले में विभिन्न निर्माण विभाग को द्वारा संचालित एवं संधारित किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समीक्षा बैठक आगामी दिनों आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि उनके द्वारा पुलों पर गड्ढा भराई एवं मरम्मत का कार्य आगामी दो दिनों में कर दिया जाएगा। बताया गया कि एनएचएआई द्वारा हाईवे पर मरम्मत, गड्ढों की भराई के लिए कार्य किया जाना है लेकिन अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा पृथक-पृथक पैकेजिस में निर्मित की गई सड़कों के कारण ठेकेदारों को चिन्हित करने में कठिनाई आ रही है।

टीकाकरण में लापरवाही पर उपयंत्री निलंबित

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री के.एन. कुमावत को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उपखंड जावरा के उपयंत्री कुमावत को आलोट विकासखंड में 24 नवंबर कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के दौरान नोडल अधिकारी बनाया गया था परंतु राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर कुमावत सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे, इससे उन्हें आवंटित केंद्रों का कार्य प्रभावित हुआ।

उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव 7 व 8 को

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रतिमाह शासकीय उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों में से 468 उचित मूल्य दुकानों पर 7 व 8 दिसम्बर को प्रातः 9.00 से सायं 5.00 बजे तक अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन ग्रामों में उचित मूल्य दुकानें स्थित हैं उन दुकानों पर अन्न उत्सव दिवस पर कोविड टीकाकरण केन्द्र भी स्थापित किया जाए जिससे छुटे हुए हितग्राही को सुगमता से टीकाकरण किया जा सके।

अवस्यारत 7/12/21

टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री निलंबित

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री के.एन. कुमावत को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उपखंड जावरा के उपयंत्री कुमावत को आलोट विकासखंड में 24 नवंबर कोविड-19 टीकाकरण महा अभियान के दौरान नोडल अधिकारी बनाया गया था परंतु राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर श्री कुमावत सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे।

अवस्यिका 7/12/21

योजना लाभ इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार व्यक्ति देश में कहीं भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे

शहर के वार्डों में ई-श्रम कार्ड बनना आरम्भ



रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

म.प्र. शासन द्वारा शहर के वार्डों में ई-श्रम कार्ड बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार व्यक्ति देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस कार्ड का उद्देश्य फ्री दुर्घटना बीमा भी है। नगर के लक्ष्मणपुरा वार्ड 2 में ई-श्रम कार्ड बनाने का कार्य भाजपा अम्बेडकर मण्डल अध्यक्ष श्री करण धीर्य बगोत्या तथा मंत्री श्रीमती किरण महावर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। शिविर में करीब 120 कार्ड बनाए गए। श्रीमती किरण ने बताया कि

जिस भी व्यक्ति द्वारा शिविर में पंजीयन करवाया गया है उसे तत्काल ही निःशुल्क ई-कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16 से 60 वर्षीय उम्र वाले व्यक्ति को ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता की नकल आवश्यक है। इस अवसर पर कोली समाज अध्यक्ष दौलतराम महावर, चुन्नीलाल खंडेलवाल, नवीन पाल, मीनाक्षी पांचाल, ज्योति खंडेलवाल, गीतांजलि महावर, हेमराज, कमल गुलानी, पूजा शर्मा, लोकेश जायसवाल आदि का सराहनीय सहयोग रहा। २५

राज न्यूज नेटवर्क 7/12/21

शहर के वार्डों में ई-श्रम कार्ड बनना प्रारंभ

रतलाम ● म.प्र. शासन द्वारा शहर के वार्डों में ई-श्रम कार्ड बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार व्यक्ति देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस कार्ड का उद्देश्य फ्री दुर्घटना बीमा भी है। नगर के लक्ष्मणपुरा वार्ड 2 में ई-श्रम कार्ड बनाने का कार्य भाजपा अम्बेडकर मण्डल अध्यक्ष करणधीर्य बड़गोत्या तथा मंत्री श्रीमती किरण महावर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। शिविर में करीब 120 कार्ड बनाए गए। श्रीमती किरण ने बताया कि जिस भी व्यक्ति

द्वारा शिविर में पंजीयन करवाया गया है उसे तत्काल ही निःशुल्क ई-कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16 से 60 वर्षीय उम्र वाले व्यक्ति को ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता की नकल आवश्यक है। इस अवसर पर कोली समाज अध्यक्ष दौलतराम महावर, चुन्नीलाल खंडेलवाल, नवीन पाल, मीनाक्षी पांचाल, ज्योति खंडेलवाल, गीतांजलि महावर, हेमराज, कमल गुलानी, पूजा शर्मा, लोकेश जायसवाल आदि का सराहनीय सहयोग रहा।

स्वदेश 7/12/21

आदर्श आचरण संहिता के संबंध में कलेक्टर के निर्देश

प्रसारण न्यूज * रतलाम

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। सभी अधिकारी, कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन करेंगे जो काम चल रहे हैं वह चलते रहेंगे। नवीन हितग्राही, नवीन कार्य तथा नवीन टेडर नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को आयोजित समय-समया बैठक के दौरान उक्त निर्देश समस्त जिला अधिकारियों को दिये।

जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की सामान्य जानकारी- त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान 16 जिला पंचायत सदस्य, 124 जनपद पंचायत सदस्य, 418 सरपंच एवं 7101 पंचों का निर्वाचन होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिले में कुल 7 लाख 26 हजार 908 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 लाख 66 हजार 187 है, महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 60 हजार 709 है, अन्य मतदाताओं की संख्या 12 है।

मतदान के लिये रहेगी इस प्रकार व्यवस्था- पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से होगा। जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग पीला, सरपंच के मतपत्र का रंग नीला एवं पंच के मतपत्र का रंग सफेद होगा। मतदान का समय

प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। मतदाता की पहचान के लिये आयोग ने 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया है।

मतगणना : पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। जबकि जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईवीएम से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।

पंच - सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण विकासखण्ड स्तर पर करने के उपरान्त परिणाम की घोषणा मुख्यालय पर सारणीकरण के पश्चात् की जायेगी।

नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था : त्रि-स्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों यथा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप 4) में की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु विकासखण्ड मुख्यालय एवं कलेक्टर मुख्यालय पर लिये जायेगे। इन कलेक्टर का गठन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा

क्रिया जायेगा।

निर्दिष्ट राशि रहेगी इस प्रकार : नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्न राशि जमा करना होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार रुपये, सरपंच के लिये 2 हजार रुपये एवं पंच के लिये 4 सौ रुपये निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित उक्त राशि में से आधी राशि ही निम्न रूप में जमा करना होगा।

देना होगा घोषणा पत्र : पंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि शेष पद सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्रारूप में

शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं बाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन हेतु ओलीन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटाप/डेस्कटाप से या साइबर कैफे/ कियोस्क सेंटर / लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं। किन्तु इसकी हार्ड कापी निर्धारित समयबधि में रिटर्निंग

ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

शिकायत निवारण को रहेगी विशेष व्यवस्था : निर्वाचन संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोग के मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नम्बर 0755-2551076 है। वहीं जिला स्तर पर भी अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव के निर्देशन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 9425359770 तथा सहायक नोडल अधिकारी श्री जगन प्रसाद वास्करके के मोबाइल क्रमांक 8770314499 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

गैर दलीय आधार पर होगा निर्वाचन : पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होगा, इसके लिये नियुक्त समस्त कर्मियों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि के लिये सखम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी को प्रचार - प्रसार के दौरान कोविड गाइड लाईन का पालन करना होगा।

कोविड से बचाव के रहेगे प्रबंध : कोविड संक्रमण से बचाव के लिये मतदान दल के सदस्यों को मास्क फेसशील्ड, ग्लॉब्स सैनेटाइजर दिये जायेंगे। वहीं मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने के पूर्व मतदाताओं को हाथ साफ करने के लिये सैनेटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई मतदाता कोविड संक्रमित है तो वह मतदान के अंतिम घण्टे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के निर्देशन में मतदान करे।

9/11/21



प्रसारण 7/12/21

ई-श्रम कार्ड बनना आरम्भ



रतलाम। मप्र शासन द्वारा शहर के बाड़ों में ई-श्रम कार्ड बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार व्यक्ति देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस कार्ड का उद्देश्य एकीकृत निकाश योजना भी है। नगर के लक्ष्मणपुरा वार्ड 2 में ई-श्रम कार्ड बनाने का कार्य भाजपा अम्बेडकर मण्डल अध्यक्ष करण धीर्य बड़गोत्या तथा मंत्री श्रीमती किरण महावर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। शिविर में करीब 120 कार्ड बनाए गए। श्रीमती किरण ने बताया कि जिस भी व्यक्ति द्वारा शिविर में पंजीयन करवाया गया है उसे तत्काल ही निःशुल्क ई-कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16 से 60 वर्षीय उम्र वाले व्यक्ति को ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता की नकल आवश्यक है। इस अवसर पर कोली समाज अध्यक्ष दीलतराम महावर, चुन्नीलाल खंडेलवाल, नदीन पाल, भीनाक्षी पांचाल, ज्योति खंडेलवाल, गीताजलि महावर, हेमराज, कमल गुरनानी, पूजा शर्मा, लोकेश जायसवाल आदि का सरहनीय सहयोग रहा।

प्रसारण

प्रसारण 7/12/21

समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटने वालों को क्वारंटाइन करें

प्रसारण न्यूज • रतलाम

अंतरराष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाए। उनके घर छोटे कटेनमेंट बनाए जाएं। उनके लौटने के सात दिवस पश्चात पूरे परिवार के सैपल लेकर जांच कराई जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम को दिए। कलेक्टर सोमवार को समयावधि पत्रों की बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी रैपिड रिसांस टीमों को सक्रिय किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्र की आरआरटी की बैठक लेकर दिशा निर्देशित करें। वैक्सिनेशन की समीक्षा में कलेक्टर ने बाजना क्षेत्र में कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर को सख्ती से निर्देशित किया कि बाजना क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति लाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 लाख 13 हजार व्यक्तियों का वैक्सिनेशन अभी ड्यू चल रहा है। हम प्रत्येक सप्ताह 1 लाख के आसपास टीकाकरण कर रहे हैं। इस सप्ताह भी 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम शहर में सोमवार को 30 टीमें लगाई गई हैं, इनमें 18 मोबाइल वाहन दल तथा 12 वैक्सिनेशन सेंटर हैं।



आदिवासी हितग्राहियों के ऋण प्रकरण दो दिवस में स्वीकृत करें

बैठक में कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में आदिवासी हितग्राहियों को वाहन दिलवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दो दिवस में उनके ऋण प्रकरणों को स्वीकृति दिलवाएं। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी को तत्परता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बताया गया कि शासन द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों में मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है।

अधूरे बाजना रोड के लिए टेंडर हुए

बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम-बाजना के अधूरे रोड निर्माण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। विभाग के सहायक यंत्री श्री राय ने बताया कि बाजना रोड के बचे हुए लगभग 5.50 किलोमीटर हिस्से के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। लगभग 16 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। कलेक्टर पुरुषोत्तम द्वारा जिले के बाजना-राखटी रोड सुधार के लिए भी पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक आर.एस. तोमर तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारी को उक्त सड़क का भ्रमण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग का कर्मचारी करेगा प्राइवेट दुकानों पर उर्वरक वितरण की निगरानी

बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में दूरिया सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। उपसंचालक कृषि श्री चौरसिया द्वारा बताया गया कि जिले में दो हजार मैट्रिक टन दूरिया वर्तमान में उपलब्ध है, एक-दो दिन में और भी तेक आ रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दूरिया की कालाबाजारी नहीं हो। किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिले में प्राइवेट दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरक की निगरानी के लिए विभाग अपने कर्मचारियों की इस्टी दुकानों पर लगाए।

सेमलिया नल-जल योजना में ठेकेदार पर कार्रवाई के लिए निर्देश

बैठक में कलेक्टर द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सेमलिया में ठेकेदार द्वारा कार्य में ढिलाई बरतने की जानकारी दी जाने पर कलेक्टर ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने, उसको ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। धर्बाईपाड़ा नल जल योजना के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री पी.के. गोपादे द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में विद्युत कार्य चल रहा है, कलेक्टर ने कार्य निरीक्षण के निर्देश दिए।

धामनोद, पिपलोदा, सैलाना के सीएमओ को बुलवाया

बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान शहरी विकास परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक द्वारा जानकारी दी गई कि आलोद, पिपलोदा तथा सैलाना में प्रगति कमजोर है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त स्थानों के नगर पालिका अधिकारियों को मंगलवार को रतलाम बुलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अब स्वच्छता में जिलों की भी रैंकिंग की जाएगी। आवश्यक है कि सभी नगर पालिका अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया जाए। इसके साथ ही जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सौंप आहूत करने के लिए निर्देशित किया।

निर्माण विभागों की समीक्षा आगामी दिनों

कलेक्टर ने कहा कि जिले में विभिन्न निर्माण विभाग को द्वय संचालित एवं संचारित किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समीक्षा बैठक आगामी दिनों आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि उनके द्वारा पुलों पर गड्ढा भराई एवं मरम्मत का कार्य आगामी दो दिनों में कर दिया जाएगा। बताया गया कि एनएचएआई द्वारा हाईवे पर मरम्मत, गड्ढों की भराई के लिए कार्य किया जाना है लेकिन अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा पथक-पथक पैकेजेंस में निर्मित की गई सड़कों के कारण ठेकेदारों को चिन्हित करने में कठिनाई आ रही है।

पुनारो 7/11/21

JKKOL

पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण विस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न करने एवं लोक प्रशासित कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिले के ग्रामीण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम,

खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो। जिले की ग्रामीण सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनीतिक दल जिले के संबन्धित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।

उसको

जिले में कोई भी व्यक्ति संबन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फलेक्स, बोर्ड, स्ट्रीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबन्धित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु विस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से

भिन्न, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्मर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। रात्रि 10.00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टरों के परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक के समूह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

उसको 7/12/21

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को रहना होगा क्वारंटाइन, छोटे कंटेनमेंट बनेंगे

रतलाम। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटकर जिले में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाए। उनके घर छोटे कंटेनमेंट बनाए जाएं। उनके लौटने के सात दिवस पश्चात पूरे परिवार के संपल लेकर जांच कराई जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम को दिए।

► सभी पैपिड रिस्थांस टीमों को किया जाएगा सक्रिय

कलेक्टर सोमवार को समयावधि पत्रों की बैठक में विभिन्न विभागों को प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी पैपिड रिस्थांस टीमों को सक्रिय किया जाए। एसडीएम अपने क्षेत्र की आरआरटी की बैठक लेकर दिशा निर्देशित करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

आदिवासी हितग्राहियों के ऋण प्रकरण दो दिवस में स्वीकृत करें

बैठक में कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में आदिवासी हितग्राहियों को वाहन दिलवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दो दिवस में उनके ऋण प्रकरणों को स्वीकृति दिलवाएं। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी को तत्परता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बताया गया कि शासन द्वारा



आदिवासी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों में मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है।

अधूरे बाजना रोड के लिए टेंडर हुए

बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम-बाजना के अधूरे रोड निर्माण को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। विभाग के सहायक यंत्री श्री राय ने बताया कि बाजना रोड के बचे हुए लगभग 5.50 किलोमीटर हिस्से के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। लगभग 16 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही टेकेंदार द्वारा कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा जिले के बाजना-रावटी रोड सुधार के लिए भी पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक श्री आर.एस. तोमर तथा पोडब्ल्यूडी अधिकारी को उक्त

सड़क का प्रमण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग का कर्मचारी करेगा प्राइवेट दुकानों पर उर्वरक वितरण की निगरानी

बैठक में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों को उपलब्धता की समीक्षा को गई। उपसंचालक कृषि श्री चौरसिया द्वारा बताया गया कि जिले में दो हजार मेट्रिक टन यूरिया वर्तमान में उपलब्ध है, एक-दो दिन में और भी रोक आ रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यूरिया को कालाबाजारी नहीं हो। किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिले में प्राइवेट दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरक की निगरानी के लिए विभाग अपने कर्मचारियों को इयूटी दुकानों पर

कमजोर प्रगति पर कलेक्टर नाराज

वैकसीनेशन की समीक्षा में कलेक्टर ने बाजना क्षेत्र में कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर को संख्ती से निर्देशित किया कि बाजना क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति लाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 लाख 13 हजार व्यक्तियों का वैकसीनेशन अभी इव्यू चल रहा है। हम प्रत्येक सप्ताह 1 लाख के आसपास टीकाकरण कर रहे हैं। इस सप्ताह भी 1 लाख टीकाकरण किया जाना है। एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम शहर में सोमवार को 30 टीमें लगाई गई हैं, इनमें 18 मोबाइल वाहन दल तथा 12 वैकसीनेशन सेंटर हैं।

सेमलिया नल-जल योजना में टेकेंदार पर कार्रवाई के लिए निर्देश

बैठक में कलेक्टर द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सेमलिया में टेकेंदार द्वारा कार्य में ढिलाई बरतने की जानकारी दी जाने पर कलेक्टर ने टेकेंदार के विरुद्ध कार्यवाही करने, उसको ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। धवाईपाड़ा नल जल योजना के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री पी.के. गोगादे द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में विद्युत कार्य चल रहा है, कलेक्टर ने कार्य निरीक्षण के निर्देश दिए।

अपभारत 7/12/21

अब उपायुक्त सोलंकी करेंगे नामांतरण, प्रकरणों की पेंडेंसी निपटाने की चुनौती

भास्कर संवाददाता | रतलाम

संबल योजना आयुषी संभालेंगी

नगर निगम में अब उपायुक्त विकास सोलंकी नामांतरण करेंगे। सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया के तबादले के बाद आयुक्त सोमनाथ झारिया ने व्यवस्था बदलते हुए उपायुक्त को राजस्व और संपत्तिकर विभाग का अधिकारी बना दिया है।

उपायुक्त के सामने महीनों से लंबित 400 से ज्यादा नामांतरण प्रकरण निपटाने की चुनौती है। सोमवार को चार्ज लेने के साथ ही उपायुक्त एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने संपत्तिकर विभाग के कर्मचारियों को साफ कह दिया है कि सारे नामांतरण प्रकरणों को समय सीमा में निपटारा जाए। बताया जा रहा है कि नामांतरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपायुक्त एक-दो कर्मचारियों की टेबल भी बदल सकते हैं। बता दें कि इसके पहले संपत्तिकर विभाग की बागडोर सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया टेबल लिपिकों द्वारा भेजी गई फाइलों पर कभी समय पर हस्ताक्षर नहीं करती थी। इस कारण नामांतरण प्रकरणों

इसके अलावा भी आयुक्त ने दो अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास को लोक सूचना विभाग की अतिरिक्त जवाबदारी दी गई है। वहीं समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल को समस्त जन कल्याणकारी योजना, संबल योजना और श्रमिक पंजीयन का दायित्व सौंपा है। उनका सहायक लेखापाल जगदीरा पांचाल को बनाया गया है।

की पेंडेंसी 420 से भी ज्यादा हो गई थी। दैनिक भास्कर द्वारा इसका खुलासा करने के बाद 26 नवंबर को नगरीय विकास एवं आवास विकास ने सुनारिया का तबादला बुरहानपुर नगर निगम में कर दिया था। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने उन्हें 30 नवंबर को रिलीज कर दिया था। इसके बाद से संपत्तिकर विभाग के अधिकारी का पद खाली था।

भास्कर

द.भास्कर 7/12/21